अध्याय-II

प्राप्ति लेखापरीक्षा

खान एवं भूविज्ञान विभाग

2.1 परिचय

राज्य सरकार स्तर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम, जयपुर तथा विभाग स्तर पर निदेशक, खान एवं भूविज्ञान (डीएमजी), उदयपुर, संबंधित अधिनियमों एवं नियमों के प्रशासन एवं क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। एक अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), छः अतिरिक्त निदेशक, खान (एडीएम), छः अतिरिक्त निदेशक, भूविज्ञान (एडीजी) और एक वित्तीय सलाहकार द्वारा निदेशक, खान एवं भूविज्ञान को सहायता प्रदान की जाती है। अतिरिक्त निदेशक, खान नौ वृत्तों के माध्यम से नियंत्रण करते है, प्रत्येक का नेतृत्व एक अधीक्षण खनि अभियंता करता है।

अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्रों में राजस्व के निर्धारण तथा संग्रहण और खनिजों के अवैध उत्खनन और निर्गमन की रोकथाम के लिए 49 खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता उत्तरदायी हैं। खनिजों के अवैध उत्खनन एवं निर्गमन की रोकथाम के लिए विभाग में अतिरिक्त निदेशक, खान (सतर्कता) के नेतृत्व में एक पृथक सतर्कता शाखा है।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

खान एवं पैट्रोलियम विभाग में 136 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां[1] थी। इनमें से 23 इकाइयों[2] का लेखापरीक्षा के लिए चयन किया गया, जिनमें 34,285 प्रकरणों[3] में से लेखापरीक्षा ने 14,473 प्रकरणों[4] (42.21 प्रतिशत) का चयन एवं जांच की गई। 7,498 प्रकरणों में ₹1,550.79 करोड़

---

[1] सचिव खान एवं पेट्रोलियम, निदेशक खान एवं भूविज्ञान कार्यालय तथा निदेशक पेट्रोलियम कार्यालय के अलावा 133 अन्य इकाईयां शामिल हैं।

[2] खनि अभियंताः अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बिजोलिया, बीकानेर, धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, झालावाड़, नागौर, सहायक खनि अभियंताः बालेसर, बारां, चूरू, हनुमानगढ़, सलूम्बर, टोंक, खनि अभियंता (सतर्कता) अलवर, सहायक खनि अभियंता (रिट) जयपुर, सहायक खनि अभियंता (सतर्कता) ब्यावर, एडीएम जोधपुर, अधीक्षण खनि अभियंता भरतपुर, निदेशक, पेट्रोलियम जयपुर और डीएमजी उदयपुर।

[3] कुल 34,285 प्रकरणः 704 खनन पट्टों की स्वीकृति; 3,576 कार्यरत खानें; 235 गैर कार्यरत खानें, 337 खनन पट्टे निरस्त/समर्पित, 11 पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, 119 अधिशुल्क संग्रहण ठेके/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके; 7,263 खदान अनुज्ञप्ति; खनिज के अवैध खनन/परिवहन के 10,440 प्रकरण; राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1,956 के तहत वसूली के 477 प्रकरण; राजस्व निर्धारण के 1,229 प्रकरण; रिफंड का एक प्रकरण; बकाया के 687 प्रकरण, 4,313 अल्पावधि अनुज्ञापत्र एवं 4,893 डीलर्स से सम्बंधित मामले।

[4] कुल 14,473 प्रकरणः 704 खनन पट्टे की स्वीकृति; 719 कार्यरत खानें; 131 गैर कार्यरत खानें 328 खनन पट्टे निरस्त/समर्पित, 11 पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, 119 अधिशुल्क संग्रहण ठेके/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके; 1,823 खदान अनुज्ञप्ति; खनिज के अवैध खनन/परिवहन के 3,427 प्रकरण; राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत वसूली के 259 प्रकरण; राजस्व निर्धारण के 279 प्रकरण; रिफंड का एक प्रकरण; बकाया के 189 प्रकरण, 1,590 अल्पावधि अनुज्ञापत्र एवं 4,893 डीलर्स से सम्बंधित मामले।

की कमियां पायी गयी। लेखापरीक्षा द्वारा पूर्ववर्ती वर्षों में भी समान त्रुटियां ध्यान में लाई गई थी परन्तु ये अनियमिततायें बनी रही तथा लेखापरीक्षा किये जाने तक इनकी पहचान भी नहीं हो पाई थी। लेखापरीक्षा में पायी गयी त्रुटियों, कमियों और अन्य सम्बन्धित मुद्दों के सारभूत अनुपात ने इंगित किया कि राज्य सरकार को आंतरिक लेखापरीक्षा को मजबूत करने सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता थी ताकि ऐसी त्रुटियों के गठित होने/पुनरावृत्ति से बचा जा सके। पाई गई अनियमितताएं मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में **तालिका 2.1** में दर्शायी गई हैं:

तालिका 2.1: वर्ष 2023-24 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण

(राशि करोड़ में)

क्रम सं.	श्रेणी		प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	स्थिर भाटक और अधिशुल्क की अवसूली/कम वसूली		577	91.03
2.	सुरक्षा जमा का जब्त न होना		293	35.61
3.	जुर्माना/ब्याज न लगाया जाना		1,362	25.28
4.	अनधिकृत उत्खनन किये गये खनिजों की लागत की वसूली न होना/कम वसूली होना		272	653.96
5.	डीएमएफटी/आरएसएमईटी निधियों में अंशदान एवं एनजीटी शुल्क की अवसूली/कम वसूली		132	11.33
6.	अन्य अनियमितताएं	राजस्व	4,847	733.57
		व्यय	15	0.01
योग			**7,498**	**1,550.79**

स्रोत: विभाग को जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के आधार पर संकलित।

वर्ष 2023-24 के दौरान, विभाग ने 8,005 प्रकरणों में ₹ 1,386.55 करोड़ के राजस्व की कम वसूली को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 1,382.79 करोड़ के 7,477 प्रकरण वर्ष 2023-24 के एवं शेष पूर्व वर्षों की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये। विभाग द्वारा पूर्व वर्षों से संबंधित 521 प्रकरणों में ₹ 2.92 करोड़ रुपये की वसूली की गई।

राशि ₹ 446.54 करोड़ के कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण इस अध्याय में सम्मिलित किये गए हैं; जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

2.3 'संचालन की सहमति' (सीटीओ) प्राप्त किए बिना अथवा सीटीओ में अनुमत मात्रा से अधिक खनिजों का उत्खनन

दस खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं द्वारा खनिजों के अनधिकृत उत्खनन, अर्थात् आवश्यक सीटीओ प्राप्त किए बिना अथवा सीटीओ में अनुमत मात्रा से अधिक उत्खनन किए जाने के कारण ₹ 192.72 करोड़ की वसूली नहीं की गई।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत (आरएमएमसी) नियम, 2017 के नियम 34(1) के अनुसार, खनन कार्य प्रारंभ करने हेतु लागू कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित पूर्व सहमतियाँ, अनुमोदन,

अनुज्ञापत्र, अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदि प्राप्त किए बिना कोई खनन पट्टा या खनन अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी।

इन नियमों के नियम 28(2)(iv)(ब) के अनुसार, पट्टाधारक द्वारा सभी खनिजों का उत्पादन खान योजना की सीमाओं के भीतर या लागू कानूनों के तहत अनुमत सीमा के भीतर रखा जायेगा, यदि पट्टाधारक द्वारा खनन योजना में निर्दिष्ट मात्रा अथवा लागू कानूनों के तहत अनुमत मात्रा से अधिक खनिजों का उत्खनन किया जाता है, तो निम्नानुसार वसूली की जाएगी:

- अतिरिक्त उत्खनन 10 प्रतिशत तक है तो अतिरिक्त मात्रा पर एकबारीय अधिशुल्क वसूल किया जाएगा;
- अतिरिक्त उत्खनन 10 प्रतिशत से अधिक लेकिन 25 प्रतिशत तक है तो सम्पूर्ण मात्रा पर दो गुना अधिशुल्क वसूल किया जाएगा; और
- अतिरिक्त उत्खनन 25 प्रतिशत से अधिक है तो खान योजना में निर्दिष्ट मात्रा या लागू कानूनों में अनुमत मात्रा से अधिक सम्पूर्ण मात्रा को अनधिकृत उत्खनन माना जाएगा और पट्टाधारक ऐसे अतिरिक्त खनिज की लागत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसकी गणना, अन्य विभागों द्वारा कार्रवाई करने की शक्तियों को प्रभावित किए बिना, प्रचलित दर पर देय अधिशुल्क का दस गुना के रूप में की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अनुसार, पट्टाधारक को खनन पट्टों से खनिजों के उत्खनन से पूर्व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) से संचालन की सहमति (सीटीओ) प्राप्त करना अनिवार्य है।

लेखापरीक्षा ने 10[5] खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं के अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2016 से 2023 की अवधि के 2,860 खनन पट्टों में से चयनित 468 खनन पट्टों के अभिलेखों की जाँच (मई 2023 से अप्रैल 2024 के दौरान) की। जिसमें पाया कि 34 पट्टाधारकों द्वारा उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 25.38 लाख मीट्रिक टन खनिजों का अनधिकृत उत्खनन किया गया था। तथापि, संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता अनधिकृत रूप से उत्खनित खनिजों की लागत ₹192.72 करोड़ की वसूली नहीं कर सके, जिसकी चर्चा नीचे की गई है।

- **सीटीओ प्राप्त किए बिना खनिजों का उत्खनन**

पाँच[6] खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं के अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि 17 पट्टाधारकों ने ***परिशिष्ट-3*** में वर्णित अनुसार, मेसनरी स्टोन, बॉल क्ले, रेड ओकर, डोलोमाइट एवं सोप स्टोन आदि जैसे 23.22 लाख मीट्रिक टन खनिजों का उत्खनन सीटीओ प्राप्त किए बिना किया था। अतः ये पट्टाधारक अनधिकृत रूप से उत्खनित खनिजों की लागत ₹185.43 करोड़ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे।

---

5 खनि अभियंताः बाडमेर, भरतपुर, बिजोलिया, बीकानेर, जैसलमेर व नागौर, सहायक खनि अभियंताः बालेसर, झालावाड, सलूम्बर, टोंक।

6 खनि अभियंताः भरतपुर, बीकानेर व जैसलमेर; सहायक खनि अभियंताः सलूम्बर व टोंक।

- **सीटीओ में अनुमत मात्रा से अधिक खनिजों का उत्खनन**

सात[7] खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि 17 पट्टाधारकों द्वारा कुल 11.60 लाख मीट्रिक टन खनिजों का उत्खनन किया गया, इनमें से, ***परिशिष्ट-4*** में वर्णित अनुसार, मेसनरी स्टोन, चाइना क्ले, बॉल क्ले तथा लाइमस्टोन आदि खनिजों की 2.17 लाख मीट्रिक टन मात्रा सीटीओ में अनुमत मात्रा से अधिक पायी गयी। अतः ये पट्टाधारक अनधिकृत रूप से उत्खनित खनिजों की लागत ₹7.29 करोड़ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे।

उपरोक्त समस्त जानकारी विभागीय वेब-पोर्टल डीएमजीओएमएस[8] पर उपलब्ध थी, तथापि संबंधित खनि अभियंताओं द्वारा इस अनियमितता का संज्ञान नहीं लिया गया और 25.39[9] लाख मीट्रिक टन खनिजों के अनधिकृत उत्खनन एवं निर्गमन के लिए ₹192.72[10] करोड़ की वसूली नहीं की गई।

तथ्य यह भी इंगित करते है कि विभाग द्वारा ऑनलाइन प्रणाली डीएमजीओएमएस में ऐसे अंतर्निहित नियंत्रण सुनिश्चित नहीं किए गए, जिनसे सीटीओ में अनुमत मात्रा से अधिक अथवा सीटीओ के बिना ई-रवन्ना का सृजन स्वतः रोका जा सके।

यह मामला विभाग को जनवरी 2025 में प्रतिवेदित किया गया। विभाग ने उत्तर दिया (मई 2025) कि खनि अभियंता बाड़मेर, बिजोलिया, नागौर के संबंध में राशि की वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है। शेष मामलों में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2025)।

2.4 ई-रवन्नाओं के दुरुपयोग द्वारा अनधिकृत रूप से उत्खनित खनिजों का निर्गमन तथा पट्टा क्षेत्रों/गैप क्षेत्रों के बाहर अवैध खनन

44 खनन पट्टों से 23.83 लाख मीट्रिक टन खनिजों का अनधिकृत रूप से उत्खनन कर उन्हें आवंटित खनन पट्टों के लिए जारी रवन्नाओं के समर्थन से निर्गमित किया गया एवं पाँच खनन पट्टों में पट्टा क्षेत्रों के आसपास तथा गैप क्षेत्रों में भी अवैध खनन पाया गया। तथापि, संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा अवैध खनन का पता लगाने तथा ₹191.10 करोड़ की खनिज लागत की वसूली सुनिश्चित नहीं की गयी।

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 54(1) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन प्रदत्त या अनुमोदित, जैसा भी हो, खनिज रियायत, अनुज्ञा पत्र या अन्य कोई अनुमति

[7] खनि अभियंताः बाड़मेर, भरतपुर, बिजोलिया, बीकानेर व नागौर; सहायक खनि अभियंताः बालेसर व झालावाड़।

[8] खान एवं भूविज्ञान विभाग ने खनिज रियायत के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा करने, सभी शासकीय बकाया जमा करने, मांग पंजिका संधारण, पट्टे की जानकारी आदि के लिए 10 अक्टूबर 2017 से खान एवं भूविज्ञान विभाग ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली (डीएमजीओएमएस) नामक एक वेब-आधारित एप्लिकेशन शुरू किया था।

[9] 25.39 लाख मीट्रिक टनः ₹ 23.22 लाख मीट्रिक टन (परिशिष्ट-3 का योग) + 2.17 लाख मीट्रिक टन (परिशिष्ट-4 का योग)।

[10] ₹ 192.72 करोड़: ₹ 185.43 करोड़ (परिशिष्ट-3 का योग) + ₹ 7.29 करोड़ (परिशिष्ट-4 का योग)।

धारण किये बिना किसी भी क्षेत्र में कोई भी खनन गतिविधि नहीं करेगा और अनुज्ञप्ति प्राप्त खदान क्षेत्र या ईंटों को छोड़कर खानों से खनिज का निर्गमन, विधिमान्य रवन्ना या ट्रांजिट पास के बिना नहीं करेगा। नियम 54(2) में यह प्रावधित है कि कोई व्यक्ति इन नियमों के प्रावधानों के अनुसरण के अन्यथा में, किसी खनिजों का परिवहन या संग्रहण नहीं करेगा अथवा न ही खनिजों का परिवहन या संग्रहण करने का कारण बनेगा। इसके अलावा, नियम 54(3) के अनुसार, खान विभाग को अधिशुल्क राशि के 10 गुना के समतुल्य खनिज की लागत वसूल कर ऐसे प्रकरणों को निपटाने का प्राधिकार दिया गया है।

आठ[11] खनि अभियन्ता तथा चार[12] सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि उनके अधिकार क्षेत्र में कुल 2,984 अप्रधान खनिज के खनन पट्टे संचालित हो रहे थे। इनमें से 570 खनन पट्टों का लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया। चयनित पट्टों के निर्देशांको को "गूगल अर्थ प्रो" एप्लीकेशन पर मैप कर उनकी समीक्षा की गई। इन पट्टों से निर्गमित खनिजों से संबंधित जानकारी विभागीय वेब-आधारित एप्लीकेशन डीएमजीओएमएस पर उपलब्ध थी। डीएमजीओएमएस पर उपलब्ध जानकारी तथा गूगल अर्थ प्रो पर चयनित पट्टों की छवियों की जांच से यह उजागर हुआ कि 44 पट्टों में किसी प्रकार की उत्खनन गतिविधि नहीं होने के बावजूद, इन पट्टों से 23.83 लाख मीट्रिक टन खनिज का निर्गमन दर्शाया गया था। इन पट्टाधारकों ने अक्टूबर 2017 से जनवरी 2024 की अवधि के दौरान 23.83 लाख मीट्रिक टन खनिज के निर्गमन हेतु 1,12,163 ई-रवन्नाओं का उपयोग किया।

इन तथ्यों से इंगित होता है कि इन पट्टाधारकों द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से अनधिकृत रूप से खनिजों का उत्खनन कर उसका निर्गमन ई-रवन्नाओं के दुरुपयोग द्वारा किया गया। अवैध रूप से उत्खनित एवं निर्गमित खनिजों की लागत ₹191.10 करोड़ है, जैसा कि ***परिशिष्ट-5*** में दर्शाया गया है। अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जिससे यह सिद्ध हो कि संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई प्रारंभ की गई हो। अतः ₹191.10 करोड़ की राशि इन पट्टाधारकों से वसूली योग्य है।

इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि पाँच खनन पट्टों (विवरण ***परिशिष्ट-6*** में) में पट्टा क्षेत्रों के बाहर सटे हुए क्षेत्रों तथा गैप क्षेत्रों[13] में अवैध खनन गतिविधियाँ की गईं। तथापि, इन पट्टों के आसपास किए गए अवैध उत्खनन के संबंध में अभिलेखों में किसी प्रकार की कार्रवाई किया जाना नहीं पाया गया।

ध्यान में लाये जाने पर (फरवरी 2025) में विभाग ने (जनवरी 2025 एवं मई 2025) बताया कि 44 पट्टों में से 38 मामलों में सत्यापन किया जा रहा है तथा तदनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। दो मामलों में, पट्टाधारकों के विरुद्ध मांग कायम कर दी गई, तथापि न्यायालय द्वारा

---

[11] खनि अभियंताः नागौर (2019-23), बिजोलिया (2017-23), जैसलमेर (2018-23), अलवर (2019-23), बीकानेर (2019-23), धौलपुर (2019-23), भरतपुर (2019-23) व डूंगरपुर (2019-23)।

[12] सहायक खनि अभियंताः बालेसर (2016-23), चूरू (2019-23), बारां (2013-23) व झालावाड (2016-23)।

[13] गैप एरियाः आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 7(3) के अनुसार, दो या दो से अधिक खनन पट्टों या वन सीमा या किसी अन्य आरक्षित भूमि से घिरे क्षेत्र को गैप एरिया माना जाएगा। आवंटन होने तक इन्हें गैप एरिया कहा जाता है।

अग्रिम आदेश तक वसूली पर रोक लगाई गई। शेष चार मामलों में, मौका रिपोर्ट (जुलाई 2024 में किए गए भौतिक निरीक्षण) से यह इंगित होता है कि खनन गतिविधियाँ की गई थीं तथा गड्ढों का पुनर्भरण भी किया गया था।

इन चार मामलों के संबंध में विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जुलाई 2024 में किए गए निरीक्षण, अवधि अक्टूबर 2017 से जनवरी 2024 तक के दौरान की गयी खनन गतिविधियों की पुष्टि नहीं करते। उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनज़र, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि लेखापरीक्षा आक्षेप बनाए जाने के पश्चात पट्टाधारकों द्वारा खनिजों का उत्खनन किया गया हो। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2025)।

अनुशंसा:

अक्टूबर 2017 से जनवरी 2024 की अवधि के दौरान रवन्नाओं के दुरुपयोग का सटीक निर्धारण करने हेतु विभाग को रिमोट सेंसिंग इमेजरी का उपयोग करते हुए जांच कराये जाने पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार की तकनीक के उपयोग से आपत्ति की अवधि के दौरान खनन गतिविधियों के संबंध में सत्यापन योग्य साक्ष्य उपलब्ध हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त, विभाग को व्यापक एवं विश्वसनीय आंकलन सुनिश्चित करने हेतु रिमोट सेंसिंग विश्लेषण के विशेषज्ञ की सेवाएँ लेने पर भी विचार करना चाहिए।

2.5 ई-रवन्ना/ई-ट्रांजिट पास जारी करने हेतु प्रोसेसिंग शुल्क राशि ₹6.97 करोड़ की वसूली का अभाव

राज्य सरकार द्वारा 3 जनवरी 2022 को आरएमएमसी नियम, 2017 में संशोधन कर कार्यालय की वेबसाईट द्वारा प्रत्येक ई-रवन्ना/ई-ट्रांजिट पास जारी करने हेतु ₹10 का शुल्क निर्धारित किया गया। तथापि, 15 खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं द्वारा खनन पट्टाधारकों/ अल्पावधि अनुमति पत्र (एसटीपी) धारकों/डीलर्स से 69.71 लाख ई-रवन्ना/ई-ट्रांजिट पास जारी करने के एवज में ₹6.97 करोड़ की वसूली नहीं की गई।

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 2(xliii) के अनुसार "रवन्ना" से आशय विभाग द्वारा विधिवत जारी अथवा विभागीय वेब पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सृजित वह दस्तावेज है, जो किसी खनिज रियायत या अनुमति के अंतर्गत निर्दिष्ट क्षेत्र से खनिज अथवा ओवरबर्डन के निर्गमन, उपभोग अथवा प्रसंस्करण हेतु जारी किया जाता है। आगे, नियम 73 के अनुसार पट्टाधारक/अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारक के लिए विभागीय वेबसाइट पर पंजीकरण कर ई-रवन्ना प्राप्त करना अनिवार्य है। दिनांक 3 जनवरी 2022 की अधिसूचना द्वारा नियम 73(5) जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ई-रवन्ना के लिए ₹10 का ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क निर्धारित किया गया।

इसके अलावा, नियम 2(lvii) के अनुसार "ट्रांजिट पास" से आशय पट्टाधारक, स्टॉकिस्ट, व्यापारी या डीलर को विभाग द्वारा विधिवत जारी अथवा ऑनलाइन सृजित ऐसा पास है, जो

अधिशुल्क भुगतान किए गए खनिज के वैध परिवहन हेतु जारी किया जाता है। 3 जनवरी 2022 की अधिसूचना द्वारा आरएमएमसी नियमों के विद्यमान नियम 92 में संशोधन कर अधिशुल्क अदा किए गए खनिजों के परिवहन/ निर्गमन हेतु प्रत्येक ई-ट्रांजिट पास के लिए ₹10 का प्रोसेसिंग शुल्क ई-भुगतान के माध्यम से जमा करना अनिवार्य किया गया।

नौ खनि अभियन्ता[14] तथा छः सहायक खनि अभियन्ता[15] कार्यालयों के अभिलेखों एवं विभागीय वेब-आधारित एप्लीकेशन डीएमजीओएमएस पर उपलब्ध डाटा की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि इन कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र में खनन पट्टाधारकों, अल्पावधि अनुमतिपत्र धारकों एवं डीलर्स द्वारा आवश्यक प्रोसेसिंग शुल्क नहीं देकर उपरोक्त वर्णित नियमों की पालना नहीं की गई। अवधि 3 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2023 के दौरान इन पट्टाधारकों, अल्पावधि अनुमतिपत्र धारकों एवं डीलर्स द्वारा कुल 69.72 लाख ई-रवन्ना/ई-ट्रांजिट पास जारी किए गए, परिणामतः ₹ 6.97 करोड़ का प्रोसेसिंग शुल्क बकाया रहा जैसा कि ***परिशिष्ट-7*** में विवरण दिया गया है। अभिलेखों में ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं था, जिससे यह इंगित हो कि संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा प्रोसेसिंग शुल्क की वसूली हेतु कोई कार्रवाई की गई हो।

ध्यान में लाये जाने पर (मार्च 2024), राज्य सरकार ने उत्तर (जून 2025) दिया कि ₹4.63 करोड़ की वसूली कर ली गई है तथा शेष राशि की वसूली प्रक्रियाधीन है।

इस प्रकार ***परिशिष्ट-7*** में दर्शाए अनुसार वसूलनीय राशि ₹2.34 करोड़, बकाया रही (जून 2025)। चूँकि यह निष्कर्ष विशिष्ट कार्यालयों से संबंधित हैं, विभाग को समस्त खनि अभियन्ता/ सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों में समग्र परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2025)।

2.6 प्रीमियम राशि की वसूली का अभाव

खातेदारी भूमि में स्वीकृत खनन पट्टों के मामलों में सहायक खनि अभियन्ता द्वारा देय प्रीमियम की किस्तों की वसूली हेतु कार्रवाई न किए जाने से ₹14.33 लाख की वसूली नहीं हो सकी। साथ ही, डीएमजीओएमएस के माध्यम से प्रीमियम राशि की निगरानी की प्रभावी व्यवस्था का अभाव था।

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 17-अ के अनुसार खातेदारी भूमि में खनन पट्टा संबंधित खातेदार या उसके पंजीकृत सहमति धारक को वार्षिक स्थिर भाटक के क्रमशः पाँच अथवा दस गुना के बराबर प्रीमियम राशि के भुगतान की शर्त पर प्रदान किया जायेगा। प्रीमियम राशि का भुगतान पाँच किस्तों में किया जाना था। प्रीमियम राशि की प्रथम किस्त का भुगतान खनन पट्टा विलेख के निष्पादन अथवा खदान अनुज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् प्रथम वित्तीय वर्ष की समाप्ति

[14] खनि अभियंताः अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बिजोलिया, बीकानेर, धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर व नागौर।

[15] सहायक खनि अभियंताः बालेसर, चूरू, झालावाड, हनुमानगढ, सलूम्बर व टोंक।

(31 मार्च) से पूर्व किया जाएगा। बाद की शेष किस्तों का भुगतान संबंधित प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर किया जाएगा।

सहायक खनि अभियन्ता, टोंक के अभिलेखों की जाँच (मई 2023) में पाया गया कि 134 खनन पट्टों में ₹3.13 करोड़ का प्रीमियम देय था। इन 134 खनन पट्टों में से नौ खनन पट्टों की जाँच में पाया गया कि दो खनन पट्टे खातेदार के पंजीकृत सहमति धारकों को प्रदान किए गए, परंतु प्रीमियम राशि दस गुना के स्थान पर पाँच गुना ही प्रभारित की गई। इन नौ पट्टों में 31 मार्च 2023 तक देय ₹22.89 लाख के विरूद्ध मात्र ₹8.56 लाख जमा किये गए। इस प्रकार नौ खननपट्टों में प्रीमियम राशि ₹14.33 लाख जमा नहीं कराई गयी (विवरण ***परिशिष्ट-8*** में)। प्रीमियम राशि की वसूली हेतु कार्यालय द्वारा किया गया कोई पत्राचार अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा विभागीय ऑनलाइन प्रणाली डीएमजीओएमएस के माध्यम से प्रीमियम राशि की निगरानी करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। परिणामस्वरूप, पट्टेधारकों द्वारा जमा की गई राशि सुनिश्चित नहीं की जा सकी। उचित निगरानी के अभाव में राजस्व का नुकसान हो सकता है। ऐसी प्रणाली के अभाव में लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि शेष 125 मामलों में सही प्रीमियम राशि लगाई गई एवं संग्रहित की गई। इस प्रकार विभाग द्वारा डीएमजीओएमएस में सुधार करने, शेष मामलों में प्रीमियम राशि सही लगाने एवं वसूली को सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।

यह मामला अप्रैल 2025 में विभाग के ध्यान में लाया गया। विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि खातेदार की पंजीकृत सहमति धारकों को स्वीकृत दो पट्टों के मामलों में प्रीमियम राशि संशोधित कर दस गुना कर दिया गया। राशि ₹9.59 लाख की वसूली कर ली गई, शेष ₹4.74 लाख की वसूली हेतु नोटिस जारी किए गए हैं। शेष 125 मामलों के सत्यापन के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2025)।

2.7 खनिजों का अनधिकृत निर्गमन

एक खनन पट्टाधारक द्वारा 42,185.77 मीट्रिक टन खनिजों को बिना ई-रवन्ना के निर्गमित किया गया। तथापि, खनि अभियंता द्वारा अनधिकृत निर्गमन का पता नहीं लगाया जा सका, परिणामस्वरूप ₹2.36 करोड़ की मांग कायम नहीं की गई एवं बाद में उस राशि की वसूली का अभाव रहा।

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 54(1) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन प्रदत्त या अनुमोदित, जैसा भी हो, खनिज रियायत, अनुज्ञा पत्र या अन्य कोई अनुमति धारण किये बिना किसी भी क्षेत्र में कोई भी खनन गतिविधि नहीं करेगा और अनुज्ञप्ति प्राप्त खदान क्षेत्र या ईंटों को छोड़कर खानों से खनिज का निर्गमन, विधिमान्य रवन्ना या ट्रांजिट पास के बिना नहीं करेगा। नियम 54(2) में यह प्राविधित है कि कोई व्यक्ति इन नियमों के प्रावधानों के अनुसरण के अन्यथा में, किसी खनिजों का परिवहन या संग्रहण नहीं करेगा अथवा न ही

खनिजों का परिवहन या संग्रहण करने का कारण बनेगा। इसके अलावा, नियम 54(3) के अनुसार, खान विभाग को अधिशुल्क राशि के 10 गुना के समतुल्य खनिज की लागत वसूल कर ऐसे प्रकरणों को निपटाने का प्राधिकार दिया गया है।

खनि अभियन्ता, बिजोलिया, भीलवाड़ा के अवधि अप्रैल 2017 से मार्च 2023 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा अक्टूबर 2023 में की गई एवं 20 खनन पट्टों का जाँच के लिए चयन किया गया। डीएमजीओएमएस पर उपलब्ध सूचनाओं और अभिलेखों की जांच से पता चला कि एक खनन पट्टाधारक (01/1993) ने 42,185.77 मीट्रिक टन खनिजों का निर्गमन बिना ई-रवन्ना के किया। यह पाया गया कि खनिजों के अंतिम शेष और अगले महीने के प्रारंभिक शेष में अंतर था। इस प्रकार, खनन पट्टाधारक द्वारा खनिज भंडार को 42,185.77 मीट्रिक टन से कम कर दिया गया। पट्टाधारक ने इस भंडार के निर्गमन के लिए ई-रवन्ना जारी नहीं किए, इसलिए वह खनिज के अनधिकृत परिवहन के लिए खनिज लागत ₹2.36 करोड़ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, जैसा कि **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: खनिजों के अनधिकृत निर्गमन के कारण वसूली योग्य लागत का विवरण

क्रम सं.	खनिज का नाम	अंतिम शेष		प्रारंभिक शेष		भण्डार के आरंभिक एवं समापन शेष के बीच अंतर (मीट्रिक टन)	अधिशुल्क की दर (₹ प्रति टन)	भण्डार में कमी हेतु वसूली योग्य राशि (₹ करोड़ में)
		माह	मात्रा (मीट्रिक टन)	माह	मात्रा (मीट्रिक टन)			
1	चाइना क्ले	03/2020	62,271.81	04/2020	32,917.04	29,354.77	65	1.91
2	रेड ओकर	03/2019	454.75	04/2019	154.75	300.00	32	0.01
3	क्वार्टज़	03/2019	1,450.00	04/2019	20.00	1,430.00	60	0.09
4	रेड ओकर	11/2018	11,155.75	12/2018	54.75	11,101.00	32	0.35
योग			**75,332.31**		**33,146.54**	**42,185.77**		**2.36**

स्रोतः डीएमजीओएमएस डाटा

अभिलेखों की समीक्षा में यह पाया गया कि खनि अभियंता द्वारा इस अनियमितता की जांच नहीं की गई। इससे विभागीय ऑनलाइन पोर्टल डीएमजीओएमएस में पर्याप्त नियंत्रण और संतुलन की कमी भी इंगित होती है।

इस प्रकार, ₹2.36 करोड़ की मांग न तो कायम की गई और न ही उसे वसूला जा सका।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (दिसंबर 2024), राज्य सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2025) कि खनिजों के अनधिकृत निर्गमन हेतु पट्टाधारक को नोटिस जारी किया गया, उसके उपरांत ₹2.36 करोड़ की मांग कायम की गई। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2025)।

2.8 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) कंपाउंड शुल्क के आरोपण एवं वसूली का अभाव

खनि अभियंता अलवर द्वारा बजरी के अवैध परिवहन में शामिल वाहनों से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित 21.00 लाख रुपये की जुर्माना राशि का आरोपण व वसूली नहीं की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने 3 सितंबर 2019 को एक आदेश जारी किया और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों का उल्लेख किया, जिसके अनुसार राज्य प्राधिकरणों को बजरी के अवैध खनन अथवा परिवहन में संलिप्त प्रत्येक वाहन पर न्यूनतम ₹1.00 लाख की कंपाउंड शुल्क राशि आरोपित करना आवश्यक था। यह शुल्क खनिज बजरी से संबंधित अवैध गतिविधियों के मामलों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम तथा अन्य संबंधित नियमों के अंतर्गत देय अन्य दण्डों के अतिरिक्त लगाया जाना था। इसके पश्चात्, 23 सितंबर 2019 को खान एवं भूविज्ञान निदेशालय, उदयपुर द्वारा सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त निदेशक, खान विभागों को सूचित किया कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करें।

कार्यालय खनि अभियंता, अलवर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (दिसंबर 2023) में यह पाया गया कि खनिजों के अवैध परिवहन के लिए (अप्रैल 2019 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान) कुल 759 पंचनामे तैयार किए गए थे। इन पंचनामा पत्रावलियों की जाँच से यह स्पष्ट हुआ कि खनि अभियंता द्वारा खनिज बजरी के अवैध परिवहन में संलिप्त 21 वाहनों पर प्रति वाहन ₹1.00 लाख की कंपाउंड शुल्क राशि आरोपित नहीं की गई। परिणामस्वरूप ₹21.00 लाख की कंपाउंड शुल्क राशि की वसूली नहीं हो सकी।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (दिसंबर 2024), राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि इस संबंध में आदेश/निर्देश अधीक्षण खनि अभियंता, जयपुर के कार्यालय से 7 नवंबर 2019 को प्राप्त हुए थे। इस तिथि से पूर्व कंपाउंड किये गए मामलों में वसूली नहीं की जा सकी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है। विभाग का यह दायित्व था कि लागू आदेशों/निर्देशों की समय पर अनुपालना सुनिश्चित की जावे। इसके अतिरिक्त, निर्देशों के प्रसारण में विलंब विभागीय आंतरिक संचार एवं निगरानी तंत्र में कमी को दर्शाता है। 7 नवंबर 2019 से पूर्व कंपाउंड किये गए मामलों में देय राशि की वसूली न किया जाना विभाग की ओर से यथोचित सतर्कता के अभाव को इंगित करता है, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 21.00 लाख की एनजीटी शुल्क राशि की हानि हुई।

2.9 ईंट मिट्टी अनुज्ञापत्रधारक से अधिशुल्क एवं डीएमएफटी अंशदान राशि की वसूली का अभाव

सहायक खनि अभियंता ने ईंट मिट्टी अनुज्ञापत्रधारक से देय अधिशुल्क एवं डीएमएफटी अंशदान राशि की वसूली हेतु मांग कायम नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15.73 लाख की वसूली नहीं हो सकी।

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 53 (8)(i) में यह प्रावधान है कि अनुज्ञापत्रधारक वार्षिक अधिशुल्क के साथ-साथ डीएमएफटी एवं आरएसएमईटी अंशदान राशि समान त्रैमासिक किस्तों में अग्रिम रूप से जमा करेगा।

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 13(1)(iii)(b) के अनुसार प्रत्येक अप्रधान खनिज रियायत धारक आरएमएमसी नियमों की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट देय अधिशुल्क का दस प्रतिशत की दर से डीएमएफटी निधि में अंशदान जमा करेगा।

कार्यालय सहायक खनि अभियंता, टोंक के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया (मई 2023) कि अप्रैल 2020 से मार्च 2023 तक की अवधि में कुल 20 ईंट मिट्टी अनुज्ञापत्र जारी किए गए थे। इनमें से एक ईंट मिट्टी अनुज्ञापत्र ग्राम मोरदा (तहसील-टोडारायसिंह) के निकट स्थित फर्म मैसर्स 'X' उद्योग के पक्ष में 17 मई 2018 से 16 मई 2023 की अवधि के लिए जारी (24 अक्टूबर 2018) किया गया था। उक्त ईंट भट्टे की क्षमता 27 घोड़ियों[16] की थी, जिसके फलस्वरूप 11,340[17] मीट्रिक टन वार्षिक ईंट मिट्टी खनिज के खनन का अनुज्ञापत्र जारी किया गया। ईंट-मिट्टी खनिज पर अधिशुल्क की दर ₹25 प्रति मीट्रिक टन थी, जिसके अनुसार वार्षिक अधिशुल्क ₹2.84 लाख[18] देय था। तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा ईंट-मिट्टी खनिज की अधिशुल्क दर 13 सितम्बर 2021 से ₹25 प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर ₹32 प्रति मीट्रिक टन कर दी गई। अतः 13 सितम्बर 2021 से अनुज्ञापत्र का वार्षिक अधिशुल्क ₹3.63 लाख[19] संशोधित किया जाना चाहिए था, परंतु सहायक खनि अभियंता ने अनुज्ञापत्रधारक द्वारा देय वार्षिक अधिशुल्क में संशोधन नहीं किया गया। इस प्रकार, अनुज्ञापत्र अवधि (मई 2018 से मई 2023) के लिए अधिशुल्क राशि ₹15.50 लाख[20] एवं डीएमएफटी अंशदान राशि ₹1.55 लाख[21] वसूल किये जाने थे, जबकि अनुज्ञापत्रधारक द्वारा मात्र अधिशुल्क राशि ₹1.32 लाख

---

[16] घोड़ियां: ईंट भट्टों में, ईंटों के खड़े कॉलम को घोड़ियां कहा जाता है।

[17] ईंट मिट्टी की वार्षिक मात्रा (मीट्रिक टन)=150*W*N; जहां W एक हजार ईंटों का वजन जो कि 2.8 मीट्रिक टन हैं; N घोड़ियों की संख्या जो कि 27 है। अतः 150*2.8*27=11,340 मीट्रिक टन।

[18] ईंट मिट्टी खनिज की अधिशुल्क की दर ₹25; अतः वार्षिक अधिशुल्क राशि 11340 मीट्रिक टन*₹25=₹2.84 लाख।

[19] ईंट मिट्टी खनिज की संशोधित अधिशुल्क दर ₹32; अतः, वार्षिक अधिशुल्क ₹3.63 लाख (11340 मीट्रिक टन*₹32) की जानी थी।

[20] अवधि 17 मई 2018 से 12 सितम्बर 2021 तक अधिशुल्क राशि अर्थात् ₹9.43 लाख + अवधि 13 सितम्बर 2021 से 16 मई 2023 तक अधिशुल्क राशि अर्थात् ₹6.07 लाख।

[21] अधिशुल्क राशि ₹15.50 लाख का 10 प्रतिशत।

(मई 2018 से अक्टूबर 2018 के बीच) जमा कराई गयी। अभिलेखों में ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था जिससे यह पता चले कि सहायक खनि अभियंता द्वारा वसूली के लिए मांग कायम की गई थी। आगे, यह भी पाया गया कि देय राशि की समयबद्ध वसूली की निगरानी के लिए सहायक खनि अभियंता द्वारा ईंट मिट्टी अनुज्ञापत्रों की मांग एवं संग्रहण पंजिका संधारित नहीं की गई।

इस प्रकार अधिशुल्क राशि ₹14.18 लाख एवं डीएमएफटी अंशदान राशि ₹1.55 लाख की वसूली अनुज्ञापत्रधारक से नहीं की जा सकी।

यह मामला विभाग के ध्यान में लाया गया (जुलाई 2025)। विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि मांग पंजिका के संधारण एवं अनुज्ञापत्रधारक को नोटिस जारी करने के उपरांत ₹7.22 लाख की वसूली की गई है एवं शेष राशि की वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (सितम्बर 2025)।

2.10 विलंब शुल्क की कम वसूली राशि ₹24.90 लाख

सहायक खनि अभियंता, बारां ने खनन पट्टे की स्वीकृति अवधि के विस्तार हेतु विलंब शुल्क की वसूली के लिए पट्टा धारक को मांग नोटिस जारी किया, लेकिन मांग की गई राशि ₹24.90 लाख कम थी।

आरएमएमसी नियम, 1986 के नियम 8(1) के अनुसार, खनन पट्टा जारी किए जाने के लिए प्राप्त आवेदन का निस्तारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी, सटीक क्षेत्र प्रदान करने का निर्णय लेने के पश्चात, आवेदक को 'लेटर ऑफ इंटेंट' (एलओआई) जारी करेगा, जिसके अंतर्गत आवेदक को खनन योजना सहित प्रगतिशील खान समापन योजना राज्य सरकार के अधिकृत अधिकारी के अनुमोदन हेतु तीन माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करना होगा, बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज की भी मांग कर सकता है, इसके अतिरिक्त, जहां पर्यावरण मंजूरी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, वहां इसके प्रस्तुत करने की अवधि बारह माह होगी।

आगे, उक्त अवधि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस शर्त पर बढ़ाया जा सकता है कि विस्तारित अवधि के प्रत्येक माह अथवा उसके भाग के लिए वार्षिक स्थिर भाटक के छः प्रतिशत की दर से विलंब शुल्क का भुगतान किया जाए।

इसके उपरांत, आरएमएमसी नियम, 2017 को 1 मार्च 2017 से प्रभावी करते हुए आरएमएमसी नियम, 1986 को निरस्त कर दिया गया। आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 5(2) के अनुसार, जहां आरएमएमसी नियम, 1986 के अंतर्गत निविदा अथवा नीलामी के माध्यम से प्रीमियम निर्धारित करने के पश्चात एलओआई जारी की गई है, वहां इन नियमों के अंतर्विरोधी प्रावधानों के बावजूद, ऐसे आवेदन को इन नियमों के अंतर्गत प्राप्त आवेदन की भांति माना जाएगा तथा सक्षम प्राधिकारी

द्वारा आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 16[22] के प्रावधानों के अनुसार निस्तारण किया जाएगा। बशर्ते कि ऐसे लेटर ऑफ इंटेंट धारक को पट्टा विलेख के निष्पादन से पूर्व निविदा आमंत्रण अधिसूचना की शर्तों के अनुसार शेष प्रीमियम राशि जमा करानी होगी।

इसके अतिरिक्त, आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 5(4) के अनुसार, इस नियम के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकरण, इन नियमों के प्रवर्तन की तिथि से 73 माह की अवधि के भीतर एलओआई की शर्तों की पूर्ति होने पर संरक्षित रहेंगे तथा यह 73 माह की अवधि खनन पट्टा के निष्पादन एवं पंजीकरण, जैसा भी लागू हो, को सम्मिलित करेगी, अन्यथा, ऐसे आवेदक का अधिकार जब्त किया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार के लिए कोई आदेश जारी करना अनिवार्य नहीं होगा। आगे, आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 16(3) के अनुसार, जहां आरएमएमसी (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022 के प्रवर्तन से पूर्व एलओआई, पर्यावरण मंजूरी जमा किये जाने की शर्त पर जारी की गई है, वहां खनन पट्टा उपर्युक्त शर्त के साथ विलंब शुल्क जमा कराने पर जारी किया जाएगा, जो प्रत्येक माह या उसके भाग के विलंब के लिए वार्षिक स्थिर भाटक के दस प्रतिशत की दर से देय होगा।

कार्यालय सहायक खनि अभियंता, बारां के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया (मार्च 2024) कि बारां जिले के विभिन्न स्थलों पर नदी तल से बजरी के उत्खनन हेतु खनन पट्टे जारी करने के लिए निविदाएं आमंत्रित (नवंबर 2013) की गई थीं। एक सफल बोलीदाता को खनन पट्टा (एमएल) संख्या 1/2013 के लिए दिसंबर 2013 में लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) इस शर्त पर जारी किया गया कि भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से पर्यावरण मंजूरी 12 माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। बोलीदाता निर्धारित अवधि के भीतर पर्यावरण मंजूरी प्रस्तुत नहीं कर सका। तथापि, आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 5(2) के अनुसार यह प्रकरण संरक्षित माना गया तथा निर्धारित विलंब शुल्क के भुगतान की शर्त पर नियम 5(4) के अंतर्गत एलओआई अनुमोदित करने की अवधि मार्च 2023 तक बढ़ाई गई। बोलीदाता ने सितंबर 2022 में खनन पट्टा अनुमोदन हेतु आवेदन किया। इस पर विचार करते हुए, सहायक खनि अभियंता ने लेटर ऑफ़ इंटेंट (एलओआई) अवधि के विस्तार के लिए विलंब शुल्क ₹ 1.54 करोड़ जमा कराने हेतु नवंबर 2022 में आदेश जारी किया। हालांकि, इन आदेशों के परीक्षण में पाया गया कि आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 5(4) के अनुसार, विलंब शुल्क ₹1.79 करोड़ (विवरण ***परिशिष्ट-9*** में) पट्टा निष्पादन की तिथि (मार्च 2023) तक का देय था। इसके विपरीत, विभाग द्वारा विलंब शुल्क केवल 09 सितंबर 2022, अर्थात् पट्टा अनुमोदन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि तक गणना कर अधिरोपित किया गया। इस प्रकार, ₹24.90 लाख की कम मांग रही, जैसा कि ***परिशिष्ट-9*** में प्रस्तुत है।

यह मामला जुलाई 2024 में राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया। राज्य सरकार ने अपने उत्तर (अगस्त 2024) में बताया कि देय विलंब शुल्क की वसूली हेतु पट्टा धारक (एमएल 1/2013) को 13 मई 2024 को नोटिस जारी किया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (अगस्त 2025)।

[22] आरएमएमसीआर-2017 के नियम 16 खनन पट्टा जारी किया जाने की प्रक्रिया से सम्बंधित है।

2.11 खनन योजनाओं के अनुमोदित हुए बिना अथवा खनन योजनाओं/सरलीकृत खनन योजनाओं में अनुमत मात्रा से अधिक खनिजों का अनधिकृत उत्खनन

पांच खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं ने 15 खनन पट्टाधारकों के विरुद्ध खनन योजना/सरलीकृत खनन योजना के अनुमोदन के बिना 8.01 लाख मीट्रिक टन खनिजों के उत्खनन के लिए ₹33.22 करोड़ की मांग कायम नहीं की। इसके अतिरिक्त, सात खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं ने खनन योजना/सरलीकृत खनन योजना में अनुमत मात्रा से अधिक 3.73 लाख मीट्रिक टन खनिजों के अनधिकृत उत्खनन के लिए दस खनन पट्टाधारकों के विरुद्ध ₹19.41 करोड़ की मांग कायम नहीं की। फलस्वरूप, खनिज लागत ₹52.63 करोड़ की वसूली नहीं की जा सकी।

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 29(1) के अनुसार, कोई भी खनन पट्टा तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक खनन योजना सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित ना हो। आगे, उप-नियम 29(5) एवं 29(12) के अनुसार, उक्त खनन योजना में पाँच वर्षों की अवधि के लिए वर्षवार सटीक क्षेत्र पर उत्खनन हेतु वार्षिक कार्यक्रम एवं योजना सम्मिलित की जाएगी तथा अनुज्ञप्तिधारक अनुमोदित खनन योजना अथवा सरलीकृत खनन योजना[23] के अनुरूप ही खनन गतिविधियाँ करेगा। उप-नियम 29(11) में यह प्रावधानित है कि पांच वर्षों की अवधि समाप्त होने से पूर्व अनुमोदित खनन योजना संबंधित खनि अभियंता अथवा सहायक खनि अभियंता को प्रस्तुत करनी होगी। यह भी उपबंधित है कि अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत किए जाने तक पट्टाधारक/अनुज्ञप्तिधारक खनन कार्य नहीं करेगा और न ही ऐसा खनन कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 28(2)(iv)(ब) के अनुसार, यदि पट्टाधारक द्वारा खनन योजना में निर्दिष्ट मात्रा अथवा लागू कानूनों के तहत अनुमत मात्रा से अधिक खनिजों का उत्खनन किया जाता है, तो निम्नानुसार वसूली की जाएगी:

- अतिरिक्त उत्खनन 10 प्रतिशत तक है तो अतिरिक्त मात्रा पर एकबारीय अधिशुल्क वसूल किया जाएगा;
- अतिरिक्त उत्खनन 10 प्रतिशत से अधिक लेकिन 25 प्रतिशत तक है तो सम्पूर्ण अतिरिक्त मात्रा पर दो गुना अधिशुल्क वसूल किया जाएगा; और
- अतिरिक्त उत्खनन 25 प्रतिशत से अधिक है तो सम्पूर्ण अतिरिक्त मात्रा को अनधिकृत उत्खनन माना जाएगा और पट्टाधारक ऐसे अतिरिक्त खनिज की लागत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसकी गणना, अन्य विभागों द्वारा कार्रवाई करने की

[23] राजस्थान में सरलीकृत खनन योजना, छोटे खनन पट्टों (10 हेक्टेयर तक) के लिए बनाई जाने वाली योजना है, जिसमें भूवैज्ञानिक जानकारी- भंडार, उत्पादन तथा पुनर्स्थापन रणनीतियाँ एक निर्धारित अवधि के लिए शामिल होती हैं।

शक्तियों को प्रभावित किए बिना, प्रचलित दर पर देय अधिशुल्क का दस गुना के रूप में की जाएगी।

नौ[24] खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया (अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024) कि संबंधित अधिकारियों ने खनिजों के अनधिकृत उत्खनन के विरुद्ध मांग कायम नहीं की, जिसकी चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गयी है:

(i) अनुमोदित खनन योजना/सरलीकृत खनन योजना के बिना खनिजों का उत्खनन

पाँच[25] खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि 15 पट्टाधारकों ने अनुमोदित खनन योजना/सरलीकृत खनन योजना के बिना 8.01 लाख मीट्रिक टन खनिजों का उत्खनन किया था, जैसा कि ***परिशिष्ट-10*** में दर्शाया गया है। उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार, संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा ऐसे अनधिकृत उत्खनन के लिए लागू अधिशुल्क के दस गुना राशि ₹33.22 करोड़ वसूल की जानी चाहिए थी। तथापि, अभिलेखों में ऐसा कुछ नहीं पाया गया जिससे प्रतीत हो कि संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा मांग जारी कर राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही की गई हो।

इस प्रकार, अनुमोदित खनन योजना/सरलीकृत खनन योजना के बिना खनिजों के उत्खनन के लिए मांग कायम नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप ₹33.22 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी।

यह मामला राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2024)। राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2024) कि सहायक खनि अभियंता, बालेसर के अंतर्गत प्रकरणों में वसूली हेतु नोटिस जारी किए गए हैं। खनि अभियंता, अलवर एवं धौलपुर के अंतर्गत प्रकरणों में यह उत्तर दिया गया कि खनन योजनाओं को भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदित किया गया है, अत :आक्षेपित अवधि के दौरान किया गया उत्खनन अनधिकृत नहीं माना जा सकता। खनि अभियंता, भरतपुर के प्रकरणों में बताया गया कि उत्पादन मात्रा खनन योजना से अधिक थी, परंतु संचालन की सहमति (सीटीओ) की सीमा के भीतर थी। खनि अभियंता, बारां के अंतर्गत प्रकरणों में तथ्यों को स्वीकार करते हुए संबंधित पट्टाधारक से प्रत्युत्तर हेतु नोटिस जारी किया गया है।

खनि अभियंता, अलवर एवं धौलपुर द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निर्दिष्ट नियमों के अंतर्गत खनन योजना/सरलीकृत खनन योजना को भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदित करने का कोई प्रावधान नहीं है। खनि अभियंता, भरतपुर द्वारा दिया गया उत्तर भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पर्यावरण विनियमों के अंतर्गत जारी सीटीओ, आरएमएमसी नियम, 2017 के अंतर्गत लागू वैधानिक दायित्वों को अधिभूत नहीं कर सकता।

---

[24] सहायक खनि अभियंताः बालेसर, बारां, चूरू एवं झालावाड़। खनि अभियंताः अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर एवं धौलपुर।

[25] बालेसर, अलवर, धौलपुर, भरतपुर एवं बारां।

अतः विभाग को खनिजों के अनधिकृत उत्खनन हेतु मांग कायम करने एवं उसकी वसूली के लिए त्वरित कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

(ii) खनन योजना/सरलीकृत खनन योजना में अनुमत मात्रा से अधिक खनिजों का अनधिकृत उत्खनन

सात[26] खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि दस पट्टाधारकों ने खनन योजना/सरलीकृत खनन योजना में अनुमत मात्रा से अधिक 3.73 लाख मीट्रिक टन खनिजों का उत्खनन किया, जिसका विवरण ***परिशिष्ट-11*** में दिया गया है। उपर्युक्त नियमों के अनुसार अधिक उत्खनित खनिज की लागत ₹19.41 करोड़ है। हालांकि, संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा अधिक उत्खनित खनिज की लागत ₹19.41 करोड़ की मांग कायम नहीं की।

इसके अतिरिक्त, विभाग के ऑनलाइन प्रणाली डीएमजीओएमएस में यह सुनिश्चित करने हेतु कोई नियंत्रण तंत्र उपलब्ध नहीं था जिससे खनन योजना/सरलीकृत खनन योजना में अनुमत मात्रा से अधिक उत्खनित खनिजों की मात्रा के लिए ई रवन्ना जारी न हो सके। यह चूक इस बात को रेखांकित करती है कि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए सुधारात्मक निगरानी और नियंत्रण तंत्र को लागू किए जाने की आवश्यकता है।

यह मामला राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2024)। राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि सहायक खनि अभियंता, बालेसर, बारां और चूरू के प्रकरणों में पट्टाधारकों को नोटिस जारी किये गए हैं। खनि अभियंता, बाड़मेर, भरतपुर तथा सहायक खनि अभियंता, झालावाड़ के प्रकरणों में उत्पादन, पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) तथा सीटीओ में निर्धारित सीमाओं से अधिक नहीं था। इसके अतिरिक्त, खनि अभियंता, बीकानेर के प्रकरणों में विभाग ने खनन योजना के अनुसार पांच वर्ष की कुल अनुमोदित उत्पादन मात्रा की तुलना उसी अवधि के वास्तविक उत्पादन से की, जबकि वर्ष-वार उत्पादन की तुलना, खनन योजनाओं/सरलित खनन योजनाओं में अनुमत वर्ष-वार उत्पादन के अनुसार की जानी चाहिए थी।

खनि अभियंता, बाड़मेर, भरतपुर एवं सहायक खनि अभियंता, झालावाड़ द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 29(12) में स्पष्ट प्रावधान है कि खनन पट्टाधारक को अनुमोदित खनन योजना के अनुरूप ही खनन कार्य करना होगा। इसके अतिरिक्त, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (आरएसपीसीबी) द्वारा जारी सीटीओ में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार, सहमति इस शर्त के साथ जारी की गई थी कि पट्टाधारक अनुमोदित खनन योजना में उल्लिखित वर्षवार मात्रा से अधिक खनिजों का उत्खनन बोर्ड से पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना नहीं करेगा। इसके अलावा, खनि अभियंता, बीकानेर द्वारा दिया गया उत्तर भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्पादन अनुमोदित खनन योजना के अनुसार वर्षवार आधार पर ही किया जाना चाहिए। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (सितम्बर 2025)।

---

[26] खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंताः बाड़मेर, बालेसर, भरतपुर, चूरू, बीकानेर, बारां एवं झालावाड़।